

प्रदेश की कतिपय 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में शासनादेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा परिभाषित किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त शासनादेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पीआईएल संख्या- 2129/2017 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2017 को पारित स्थगनादेश के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 22.12.2016 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

असीम अरूण

मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग।